सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 42/2014

1–दरबारसिह 2–रामओतार पुत्रगण रमजी 3–भानवती पत्नी स्व0 रमुजी 4–आशा 5–कमलेश 6–गुडिया 7–भूरी 8–राजेश्वरी पुत्रीयांन स्व0 रमजी समस्त जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ (धौलपुर) राज.

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व
दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति – 1–श्री *हरवीरसिह एडवोकेट* ..... (वादीगण)

निर्णय दिनांक : 12/09/2019

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 371 जिसका शाविक खसरा नम्बर 243 रकवा 2 वीघा 2 विश्वा एंव 253/1 रकवा 2 वीघा 5 विश्वा स्थित वाके ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ के वादीगण राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक गैरखातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के पिता व मनवती के पति रमजी वल्द रमोले राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार अंकित है जबकि धारा 19 राज0 टैनेन्सी एक्ट के तहत मुताबिक उनकी खातेदेारी की हैसियत हो गई थी क्योकि उक्त खसरा नम्बर पर उनका संवत 2019 से लगातार कब्जा रहा है। उनकी मृत्यु के वाद वादीगण विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण का पिता रमजी वल्द रमोले अनपढ किसान व्यक्ति था जो काबिज होकर काश्त करता रहा राजस्व रिकॉर्ड का पता नही किया कि उसका इन्द्राज किस हैसियत का है। वाद पत्र प्रस्तुत करने से करीव 10 माह पूर्व वादीगण कृषिकार्ड वानवाने के लिये पटवारी हल्का से नकल लेने गये तब पता चला कि उनके नाम अभी गैरखातेदारी का इन्द्राज चल रहा है। वादीगण ने खातेदारी के लिये तहसीलदार सैपऊ व जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के लिये धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जिसके जबाब में तहसीलदार ने लिखा है कि विवादित आराजी पर रमजी वल्द रमोले वन्दौवस्त से पूर्व गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है खातेदारी के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें। इसलिये वादीगण ने यह वाद पत्र खातेदारी हेतु न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार सैपऊ द्वारा जबाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किया गया है कि वादीगण के पूर्व पुरूष ने विवादित आराजी पर कोई काश्त नही की आराजी का कोई श्रोत नही बताया है। यह जमीन कहां से किस प्रकार वादीगण के पूवजो को प्राप्त हुई। वादीगण को धारा 19 राज0 टैनैन्सी एक्ट को विवादित खसरा नम्बर पर कोई खातेदारी की हैसियत नही हुई। यह है कि विवादित आराजी संवत 2019 में गैरमुमकिन गौचर दर्ज है और गैरमुमकिन गौचर का ना तो आवटंन हो सकता है और ना ही खातेदारी प्राप्त हो सकती है। संवत 2019 के बाद जितने भी अधिकार इन्द्राज हुये है जो गैरकानूनी है और काबिल खारिजी है। राज0 टैनैन्सी एक्ट धारा 16 के तहत चारागाह भूमि व अन्य पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है इस कारण दावा वादीगण काबिल खारिजी है। और निवेदन किया कि दावा वादीगण मय हर्ज खर्चा खारिज किया जावें ।

उभयपक्ष के दावा एंव जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। 1–आया वादीगण विवादित आराजी का खातेदार घोषित करा कर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है।(वादीगण) 2–आया वादीगण या उनके पूर्व पुरूष ने संवत 2019 से कोई काश्त नही की एंव उसने आराजी का काई श्रोत बताया इस प्रकार धारा 19 राज0 काश्त0 अधि0 के अधिन खातेदार काश्तकार के अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। (प्रतिवादी) 3–आया विवादित आराजी संवत 2019 में गौचर दर्ज है जिस पर धारा 19 रा0का0अधि0 नियम के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते ।(प्रतिवादीगण) 4–अनुतोष–

वादीगण नें अपने वाद पत्र के समर्थन में ब्यान वादी दरबार सिह पीडब्ल्यू –1, ब्यान मेगेश सिह पीडब्ल्यू–2 कराये है एंव दस्तावैजी साक्ष्य में जमावन्दी संवत 2064 से 67 प्रदर्श–1, नक्शा अक्स खसरा नम्बर 371 ग्राम फूलपुरा प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 67 ग्राम फुलपुरा प्रदर्श 3, खसरा बन्दौवस्ती संवत 2019 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, जमावन्दी वन्दौवस्त प्रदर्श–6, खसरा गिरदावरी संवत 2019 से 22 प्रदर्श–7, धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–8, वापिसी एडी रसीद प्रदर्श–9, रजिस्ट्री ऐडी की रसीदें प्रदर्श 10 व 11 प्रस्तुत किये है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावैजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है एंव नाही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है।

हमने विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजी साक्ष्य एंव दस्तावेजो का अवलोकन किया तनकीवाइज निर्णय निम्न प्रकार है–

1. तनकी नं0 1– आया वादीगण विवादित आराजी का खातेदार घोषित करा कर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है। (वादीगण)

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी दरबारसिह का ब्यान कराकर वाद पत्र की पूर्ण ताईद की है एंव गवाह मंगेश पीडब्ल्यू–2 के द्वारा अपने ब्यान में वादीगण का विवादित आराजी पर काबिज होना व संवत 2019 से लगातार काश्त करने वाली बात को सिद्व किया है। प्रदर्श–3 खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

गिरदावरी, प्रदर्श–4 खसरा बन्दौवस्ती एंव प्रदर्श–7 खसरा गिरदाबरी संवत 2019 से 22 के अवलोकन से यह भलिभाति सिद्व होता है कि वादीगण के पूर्व पुरूष रमजी वल्द रमोले कोम लोधा विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है और वर्तमान में वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उपरौक्त तीनो दस्तावैजात में वादीगण के पूर्व पुरूष एंव वादीगण द्वारा की गई काश्त का अंकन है। वादीगण संवत 2019 से लगातार काबिज होकर काश्त करते रहे जो प्रस्तुत रिकॉर्ड से पूरी तरह सावित है। धारा 19एए के तहत यदि कोई व्यक्ति दिशम्बर 1969 से काबिज है एंव उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है तो उसे खातेदारी दे देनी चाहिये । प्रतिवादीगण द्वारा यह आक्षेप लिया गया है कि विवादित आराजी गौचर भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजी साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नही होता है कि विवादित आराजी कभी कभी गौचर दर्ज रही हो बल्कि हारखाखी एंव वारानी दोयम दर्ज रही है। भूमि के किस्म के खाने में राजस्व रिकॉर्ड के किसी भी दस्तावैज में यह भूमि गौचर दर्ज नही है इसलिये इस भूमि को गौचर नही माना जा सकता है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नं. 2 व 3– इन दौनो तनकीयो को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और ना कोई प्रलेखिय साक्ष्य इस सम्बध में प्रस्तुत की है। ये दौनो तनकी एक दूसरे से सम्बधित है इसलिये दोनो तनकीयो का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। चूकिं तनकी नं. 1 का विस्तृत निर्णय लिखाया जा चुका है जिसके अनुसार विवादित आराजी को गौचर भूमि नही माना गया है। फिर भी यदि तहसीलदार विवादित आराजी की गोचर भूमि मान रहा था तो उसे नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है इसलिए उपरौक्त दौनो तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है। अतः उपरौक्त तनकीयो के निर्णय के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 371 रकवा 2 वीघा 02 विश्वा स्थित वाके ग्रम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जावें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 42/2014

1–दरबारसिह 2–रामओतार पुत्रगण रमजी 3–भानवती पत्नी स्व0 रमुजी 4–आशा 5–कमलेश 6–गुडिया 7–भूरी 8–राजेश्वरी पुत्रीयांन स्व0 रमजी समस्त जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व
दुरूस्ती इन्द्राज

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हरवीरसिह एडवोकेट मिनजानिव मुद्दायलह श्री ..... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 371 रकवा 2 वीघा 02 विश्वा स्थित वाके ग्रम फूलपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जावें ।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 12.09.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ(धौलपुर)